छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक–14 / रेरा / 2018 / 363 रायपुर, दिनांक 27 / 07 / 2018

/ / परिपत्र / /

विषय :– प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हेतु लंबित दस्तावेज जमा करने के संबंध में।

–––––00––––––

रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रजिस्ट्रेशन हेतु प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–3, दिनाँक 28.03.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। जिसमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के त्वरित रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य से प्रमोटर्स को वचन–पत्र (Under-taking) के साथ किंचित दस्तावेजों के बिना आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए थे कि उक्त लंबित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत न करने पर विलंब शुल्क के अतिरिक्त पृथक से दण्ड आरोपित किए जावेंगे। किन्तु रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत कतिपय प्रकरणों में यह परिलक्षित हो रहा है कि उक्त एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी प्रमोटर्स द्वारा लंबित दस्तावेज प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है, जो उचित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा–37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे लंबित दस्तावेज प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनाँक 15 अगस्त, 2018 तक की अंतिम समय–सीमा निर्धारित की जाती है। उक्त समयावधि तक लंबित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर रूपये 10,000 / – के अतिरिक्त अर्थदण्ड सहित संबंधित प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने / आवेदन अस्वीकृत करने पर विचार किया जावेगा।

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

27/07/18.

(अजय कुमार अग्रवाल)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण

रायपुर.